

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्या: 26/2022 एल.आर.एक्ट

GCMS No. 2022/41

अमराराम पुत्र मेघा राम उर्फ ईश्वरराम जाति जाट निवासी अणखीसर तहसील
नोखा जिला बीकानेर।

— अपीलान्त

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार नोखा।

— रेस्पोडेंट

उपस्थित: श्री दिनेश गहलोत
श्री मोहम्मद इम्तियाज अली


— अभिभाषक अपीलांत
— राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 11.07.2022

यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के
अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा के आदेश दिनांक 10.11.2021 के
विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि -

1- वादग्रस्त भूमि ग्राम अणखीसर स्थित खेत खसरा नंबर 1973/1615 रकबा
0.8700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 202 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नंबर
2354/1975 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2355/1975 रकबा 4.2200
हैक्टेयर, खसरा नंबर 2356/1975 रकबा 3.3000 हैक्टेयर की कुल 8.6400
हैक्टेयर खातेदारी भूमि है। खसरा नंबर 1975/203 की 7.75 हैक्ट. में से 0.23
हैक्ट. भूमि को उपखण्ड अधिकारी नोखा ने दिनांक 10.11.2021 को खातेदारी
भूमि की किस्म परिवर्तन करते हुए गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश प्रदान
किये। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा के अपीलाधीन आदेश
दिनांक 10.11.2021 से व्यथित होकर अपीलांत ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत
की है।


संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2- विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री दिनेश गहलोत ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व बिना किसी प्रकार की पत्रावली का संधारण किये। अधिनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश केवल मात्र हल्का पटवारी द्वारा इकतरफा तौर पर तैयार की गई रिपोर्ट पर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिए बिना सीधे ही रास्ता अमलदरामद के आदेश प्रदान कर दिए। आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई विधिक प्रक्रिया नहीं अपनायी गई। किसी खातेदार के खेत में से नया रास्ता कायम करने से पूर्व उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना आवश्यक है। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट किसी खातेदार विशेष को अनुचित लाभ पहुंचाने की नीयत से तैयार की गई। दिनांक 22.02.2022 को मौके पर हल्का पटवारी ग्राम सोमलसर द्वारा जैर अपील आदेश से अवगत कराने पर ज्ञात हुआ कि अपीलांट के खेत में से नया रास्ता निकलना है। अपीलांट को जैर अपील आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 28.02.2022 को प्राप्त हुई। अतः अपील अपीलांट मियाद में शुमार कर स्वीकार फरमाई जावे।




3- विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी नोखा ने संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.09.1956 के द्वारा धारा 131, 132 व 136 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में दिनांक 10.11.2021 को गैर मुमकिन रास्ते के अंकन के आदेश जारी किये हैं, जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

4- हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। वादग्रस्त भूमि अपीलांट के खसरा नंबर 1975/203 की 7.75 हैक्ट. भूमि में से 0.23 हैक्ट. भूमि है। उपखण्ड अधिकारी नोखा ने आदेश दिनांक 10.11.2021 द्वारा उक्त विवादित खसरे में स्थित खातेदारी भूमि में गैर मुमकिन रास्ते के अंकन के आदेश जारी कर दिये। उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा ने आदेश दिनांक 10.11.2021 अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना पारित किये, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए विधिसम्मत आदेश पारित करें।


संभाषक अधुना
डी. जयपुर



5- तदनुसार अपील अपीलांत निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तत्परीच तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11.07.2022 को दिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ. गीरज कं. पवन)
संभागीय आयुक्ता
बीकानेर